न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/06

1. रामस्वरूप
2. सत्यनारायण
3. रमेश चन्द पिसरान श्री रामबिलास जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कसार हाल निवासीगण मकान नं0 02 एम–20 तलवण्डी कोटा ।
4. कंचन बाई पुत्री रामबिलास जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कसार हाल निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा ।
5. नट्टी बेवा स्वर्गीय श्री भंवर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कसार तहसील लाडपुरा जिला कोटा (नाम तर्क) ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती पारा बाई पत्नी स्वर्गीय श्री बंशीलाल जाति माली निवासी ग्राम बन्धा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. बजरंग लाल
3. कुंज बिहारी
4. सत्यनारायण
5. कैलाश
6. बाबूलाल
7. बाबूलाल पिसरान स्वर्गीय श्री बंशीलाल जाति माली निवासीगण ग्राम बन्धा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
8. कल्याण आत्मज श्री रामा जी जाति माली निवासी ग्राम बन्धा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
9. बजरंग लाल आत्मज श्री बंशीलाल जाति माली निवासी ग्राम बन्ध तहसील सांगोद जिला कोटा ।
10. श्रीमती बद्रीबाई पत्नी श्री बजरंग लाल जाति माली निवासी ग्राम बन्धा तहसील सांगोद जिला कोटा ।
11. कल्याण मल आत्मज श्री पांचू जाति गुर्जर निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
12. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 29.10.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1131 की 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के शामलाती खाते की भूमि है । राजस्व रिकॉर्ड में रामविलास व नट्टी का 1/2 हिस्सा व बंशी कल्याण का 1/2 हिस्सा दर्ज है । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है अपने हिस्से में से कुल 24 बीघा 09 बिस्वा भूमि में से 12 बीघा साढे चार बिस्वा भूमि आती है तथा वादीगण का 1/2 हिस्सा वादग्रस्त भूमि में है । प्रतिवादी क्रम 1व 2 ने अपने हिस्से की भूमि में से खसरा नम्बर 1131 की 06 बीघा भूमि कल्याण मल प्रतिवादी क्रम 5 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 03.03.1967 को बेचान कर कब्जा दे दिया था । प्रतिवादी क्रम 1 बंशी लाल ने नये खसरा नम्बर 1379 जिसका कि पुराना खसरा नम्बर 1131 था में से 2.56 हैक्टर का जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र स्वयं का 1/4 हिस्से जो उसके आपसी बंटवारे में से कब्जे में आया था को बजरंग लाल को बेचान कर दिया । इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 2 कल्याण ने खसरा नम्बर 1379 की रकबा 2.56 व खसरा नम्बर 1382 की रकबा 0.17 हैक्टर कुल रकबा 2.73 हैक्टर में से अपने हिस्से की जो 0.68 हैक्टर जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र दिनांक 07.07.2006 को श्रीमती बद्री बाई पत्नी बजरंग लाल को बेचान कर दी । दिनांक 03.03.1967 को प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने खसरा नम्बर 1131 की 06 बीघा भूमि का बेचान किया जो 0.96 हैक्टर बनता है जबकिप्रतिवादी क्रम 5 के खाते में खसरा नम्बर 1383 की 1.20 हैक्टर भूमि दर्ज कर दी गई है जबकि 0.96 हैक्टर भूमि दर्ज होनी चाहिए थी । इस प्रकार 0.24 हैक्टर भूमि जो प्रतिवादी क्रम 5 के खाते में दर्ज कर दी गई है वह उसके खाते से कम की जाकर वादीगण के खाते में दर्ज की जावे ।

3. अतः वाद वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री किया जावे कि प्रतिवादी क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटावाया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में उनका 1/2 हिस्सा भी हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती की जावे तथा कुल 3.93 हैक्टर में से 1/2 हिस्सा अर्थात् 1.97 हैक्टर भूमि वादीगण के खाते दर्ज की जावे । प्रतिवादीगण क्रम 1 बंशीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 26.06.2006 को खसरा नम्बर 1379 की 0.64 हैक्टर भूमि अपने पुत्र बजरंग लाल के पक्ष में बेचान की है तथा प्रतिवादी क्रम 2 कलयाण ने अपने हिस्से की सवा चार बीघा भूमि अपनी पुत्रवधु बद्री बाई पत्नी बजरंग लाल के नाम बेचान कर दी है । इस प्रकार यह दोनों बेचान अपने ही परिवार के लोगों को कर दिया है इस कारण से दोनों विक्रय पत्रों में से 0.16 व 0.16 हैक्टर अनुपात में भूमि कम की जाकर वादीगण के हिस्से दर्ज की जावे । वादीगण का पूरा रकबा किया जावे एवं प्रतिवादी क्रम 5 के खाते में से 0.24 हैक्टर भूमि कम की जाकर वादीगण के खाते दर्ज की जावे । प्रतिवादी क्रम 1 व 2 ने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान किया है इस कारण उक्त विक्रय पत्र दिनांक 26.06.2006 एवं दिनांक 07.07.2006 को प्रभावशून्य घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2014 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री 09.12.2014 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करने के बजाय सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए था । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने अपने शामलाती खाते की आराजी में से उनके हिस्से की भूमि से 06 बीघा अधिक भूमि का रेस्पोडेन्ट क्रम 11 प्रतिवादी क्रम 5 कल्याण मल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 03.03.1967 से बेचान कर दिया । इसके उपरान्त बंशीलाल ने नये खसरा नम्बर 1379 की 2.56 हैक्टर भूमि में उसके 1/4 हिस्से की भूमि 0.64 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 बजरंग लाल पुत्री बंशी लाल को दिनाक 26.06.2006 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर दिया था । वादीगण हिस्से से अधिक के किये गये बेचान की भूमि को अपने खाते में दर्ज कराने के अधिकारी हैं । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलान्ट के द्वारा दावा बाबत् हक, घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक रूप से स्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 5 के खाते से 0.24 हैक्टर भूमि कम कर वादीगण अपीलानट के खाते दर्ज कर तद्नुसार विभाजन आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करनी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर नहीं किया है कि ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 1131 की 24 बीघा 09 बिस्वा आराजी स्थित थी जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा था । पक्षकारान अपने हिस्से के अनुसार काबिज थे । प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 ने शामलाती खाते की आराजी में से उनके हिस्से में से 06 बीघा आराजी प्रतिवादी क्रम 5 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से दिनांक 03.03.1967 से बेचान की थी इसके उपरान्त प्रतिवादी क्रम 1 ने नये खसरा नम्बर 1379 रकबा 2.56 हैक्टर में से उन्हें 1/4 हिस्से की आराजी 0.64 हैक्टर भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 2 बजरंग लाल पुत्री बंशी लाल को दिनाक 26.06.2006 को जरिये रजिस्टर्ड बेचान पत्र से बेचान कर दिया था । इसी प्रकार प्रतिवादी क्रम 08 कल्याण आत्मज रामा माली ने शामलाती खाते की भूमि में से खसरा नम्बर 1379 की 2.56 हैक्टर व खसरा नम्बर 1382 की 0.17 हैक्टर कुल 2.73 हैक्टर भूमि में से 0.68 हैक्टर भूमि जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 07.07.2006 को रेस्पोडेन्ट क्रम 1 बद्रीबाई को बेचान कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम की थी परन्तु अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है । प्रतिवादी क्रम 5 के खाते से 0.24 हैक्टर आराजी कम की जाकर उक्त भूमि वादीगण के खाते में दर्ज की जानी चाहिए थी । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2014 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर 08 तनकीयात कायम की थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 12 पर अंकित हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया है जब कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2014 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कायम की गई तनकी में से प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर पत्रावली प्राप्ति के 03 माह के अन्दर विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 05.12.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29.10.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा